भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3467

सोमवार, 10 अगस्त, 2026 / 19 श्रावण, 1948 (शक)

न्यूनतम मजदूरी दर

†3467. श्री राहुल गांधीः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में कामगार के प्रकार के अनुसार वर्तमान न्यूनतम मजदूरी दरों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इसे अंतिम बार कब संशोधित किया गया था;

(ख) विगत पाँच वर्षों के दौरान न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न करने को लेकर सरकार को प्राप्त शिकायतों की कुल संख्या, जारी किए गए नोटिस और लगाए गए जुर्माने का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी तय करने में 2019 में प्रस्तुत विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के गैर-कार्यान्वयन के क्या कारण हैं;

(घ) मजदूरी संहिता, 2019 के अंतर्गत राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए परामर्श किए गए या किए जाने वाले हितधारकों का ब्यौरा क्या है और इस प्रक्रिया को पूरा करने हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है और अब तक हुई देरी के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी नहीं होने का घटती घरेलू खपत और बढ़ती ऋणग्रस्तता पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया है; और

(च) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस समस्या के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ङ): "श्रम" "भारत के संविधान की समवर्ती सूची का विषय है। मजदूरी संहिता, 2019 के प्रावधानों के अधीन, केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी नियोजनों के लिए न्यूनतम मजदूरी दरों को निर्धारित करने, समीक्षा करने और संशोधित करने का अधिकार है।

केंद्रीय क्षेत्र के अधीन नियोजनों के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरें केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित की जाती हैं तथा औद्योगिक कामगारों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-आईडब्ल्यू) में वृद्धि के आधार पर उनमें समय-समय पर संशोधन किया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 30.03.2026 तक की स्थिति के अनुसार अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी की दरों का ब्यौरा नीचे दिए गए लिंक https://clc.gov.in/clc/sites/default/files/mygov_17751372721.pdf पर उपलब्ध है।

जारी/2-

इसके अतिरिक्त, दिनांक 21.11.2025 से प्रवृत्त हुई मजदूरी संहिता, 2019 में मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, बोनस संदाय अधिनियम, 1965 तथा समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 के उपबंधों को समाहित किया गया है। मजदूरी संहिता, 2019 के उपबंधों के अधीन, केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों को संहिता में यथा विहित विभिन्न प्राधिकारियों, जैसे–"दावों की सुनवाई एवं निर्णय के लिए प्राधिकारी", "अपीलीय प्राधिकारी", "निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता" तथा "जांच अधिकारी" की नियुक्ति के माध्यम से संहिता के उपबंधों का प्रवर्तन करने के लिए सशक्त बनाया गया हैं।

केंद्रीय क्षेत्र में, प्रवर्तन मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) कार्यालय के निरीक्षण अधिकारियों के माध्यम से किया जाता है, जिन्हें आमतौर पर केंद्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र (सीआईआरएम) के रूप में नामोदिष्ट किया जाता है, और राज्य क्षेत्र में अनुपालन राज्य प्रवर्तन तंत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है। न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अधीन केंद्रीय क्षेत्र में दावों के मामलों की कुल संख्या और पिछले पांच वर्षों में से प्रत्येक के दौरान लगाए गए मुआवजे सहित दी गई राशि, संलग्नक में है।

* *****

संलग्नक

"न्यूनतम मजदूरी दर" के संबंध में श्री राहुल गांधी द्वारा दिनांक 10.08.2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3467 के भाग (क) से (च) के उत्तर में संदर्भित संलग्नक

वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक के दौरान न्यूनतम मजदूरी के संबंध में प्राप्त दावा आवेदनों और मुआवजे सहित प्रदान की गई राशि का ब्यौरा:

वर्ष	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अधीन दावा मामले	प्रदान की गई राशि (लगाए मुआवज़े सहित) (रुपये में)	लाभान्वित कामगारों की संख्या
2021-22	1342	17,77,22,490	7,519
2022-23	2074	32,80,07,597	14,757
2023-24	1681	106,39,92,422	12,915
2024-25	1264	39,65,96,166	15,618
2025-26	1068	27,01,13,236	7,424